भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3243
21/08/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दिल्ली में भूकंप के खतरे और भवन सुरक्षा अनुपालन

3243 सुश्री स्वाति मालिवाल:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) के अंतर्गत खतरे, संवेदनशीलता और जोखिम के आधार पर क्षेत्र-वार जोखिम वर्गीकरण क्या है;
(ख) वर्ष 2020 से भूकंपरोधी क्षमता के लिए ऑडिट किए गए अस्पतालों, स्कूलों और कार्यालयों सहित दिल्ली में सार्वजनिक भवनों की संख्या कितनी है और भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी), 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले भवनों का प्रतिशत कितना है;
(ग) विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यों हेतु संरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;और
(घ) दिल्ली में भवनों के लिए एनबीसी, 2016 के अंतर्गत निर्धारित भूकंपरोधी डिज़ाइन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं और उनके प्रवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) 2019 में संपन्न "भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई) - चरण I",शीर्षक वाले अध्ययन में, दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र IV के अंतर्गत आने के कारण मूल्यांकन में शामिल किया गया था। इस अध्ययन के अंतर्गत किए गए जोखिम विश्लेषण के अनुसार, भूकंप जोखिम (जोखिम, भेद्यता और एक्सपोजर) के संदर्भ में दिल्ली को मध्यम-जोखिम वाले शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 84 इमारतों का एक नमूना सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर दिल्ली में निर्माण संबंधी पर्यावरण की संरचनात्मक संवेदनशीलता को भी मध्यम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।
(ख) 2019 में, एनडीएमए ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से "इप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिलिएंसी आफ मैसनरी लाइफलाइन स्ट्रक्चर एंड अपकमिंग कंस्ट्रक्शंस" शीर्षक से एक पायलट परियोजना शुरू की, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹303.33 लाख थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डीटीयू को तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया है। इस पहल के तहत, पाँच सार्वजनिक भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट किया गया। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की असंतोषजनक गुणवत्ता के कारण, जो अपेक्षित तकनीकी मानकों को पूरा नहीं करती थीं, परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
(ग) 2019 में, एनडीएमए ने "इप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिलिएंसी आफ मैसनरी लाइफलाइन स्ट्रक्चर एंड अपकमिंग कंस्ट्रक्शंस" शीर्षक से एक पायलट परियोजना शुरू की, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹303.33 लाख थी। यह परियोजना उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को सौंप दी गई और ₹91 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई। इसमें से लगभग ₹35 लाख प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने में खर्च किए गए। तथापि , कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की खराब गुणवत्ता और आवश्यक तकनीकी मानकों को पूरा न करने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

(घ) राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और भवन उप-नियमों का अनुपालन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि , भूकंपरोधी निर्माण को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, एनडीएमए ने एनबीसी 2016 पर आधारित उपयोगकर्ता-अनुकूल दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं "भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए गृह स्वामी मार्गदर्शिका (2019)" और "भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश (2021)", जो स्थल चयन, वास्तुशिल्प डिज़ाइन, संरचनात्मक सुरक्षा और सुरक्षित निर्माण में योग्य पेशेवरों की भूमिका पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, एनडीएमए ने भूकंप के जोखिम न्यूनीकरण के लिए शहर की तैयारियों का आकलन करने हेतु दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम किया है। यह कार्य 8 अप्रैल, 2025 को आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति- भूकंप (सीओडीआरआर-भूकंप) की दूसरी बैठक के एक भाग के रूप में किया गया। बैठक के दौरान, दिल्ली की भूकंपीय सुरक्षा को मज़बूत करने और संवेदनशीलताओं को कम करने में सहायता के लिए विभागवार तत्काल उपायों की सिफ़ारिश की गई।

****